न्यायालय –अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती हिमानी जैन (आर.जे.एस)
निर्णय दिनांक – 17.08.2026
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या – 346/2021
सीआईएस नंबर – 346/2021
सीएनआर नंबर – RJJH070007402021

राजस्थान राज्य बनाम ताराचंद

प्र0 सू0 रिपोर्ट सं. – 212/2021, थाना खेतड़ी

अपराध अन्तर्गत धारा– 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी	पूर्णमल सैनी पुत्र उकारमल, उम्र 32 वर्ष, निवासी ढाणी जोशियाला, तन बबाई, थाना खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज0)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी श्री कृष्ण कुमार
अभियुक्त का नाम व पता	ताराचंद पुत्र बालूराम गुर्जर, उम्र 33 वर्ष, निवासी ढाणी भगतावाली, तन गाडराटा, थाना खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज0)
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री रामनिवास छावल

B

अपराध की दिनांक	18.03.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	19.03.2021
प्रसंज्ञान की तिथि	19.07.2021
आरोप विरचित कर सुनाये जाने की दिनांक	19.07.2021
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	19.04.2022
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	10.08.2026
निर्णय दिनांक	17.08.2026
दण्डादेश दिनांक	––

C
अभियुक्त का विवरण

क्र. सं	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिये अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	ताराचंद पुत्र उकारमल	––	19.07.2021	279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची
अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पीडब्ल्यू 01	पूर्णमल	फर्द साक्षी व परिवादी
पीडब्ल्यू 02	लालचंद	फर्द साक्षी
पीडब्ल्यू 03	श्रीमती अणची देवी	फर्द साक्षी
पीडब्ल्यू 04	कालूराम	फर्द साक्षी
पीडब्ल्यू 05	महिपाल सिंह	फर्द साक्षी
पीडब्ल्यू 06	पीरदान सिंह	फर्द साक्षी
पीडब्ल्यू 07	मनोज कुमार	फर्द साक्षी
पीडब्ल्यू 08	लालचंद	फर्द साक्षी
पीडब्ल्यू 09	दलीप	फर्द साक्षी
पीडब्ल्यू 10	सोणाराम	फर्द साक्षी
पीडब्ल्यू 11	राजेश	फर्द साक्षी
पीडब्ल्यू 12	रतन	फर्द साक्षी
पीडब्ल्यू 13	अशोक कुमार	मैकेनिकल मुआयनाकर्ता
पीडब्ल्यू 14	डॉ. अक्षय कुमार	चिकित्सकीय साक्षी
पीडब्ल्यू 15	राजेन्द्र कुमार	अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	–निल–	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	–निल–	––

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
1	प्रदर्श पी–01	पुलिस बयान पूर्णमल सैनी
2	प्रदर्श पी–02	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी–03	चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट
4	प्रदर्श पी–04	फर्द पंचायतनामा मृतक रामसिंह
5	प्रदर्श पी–05	फर्द सुपुर्दगी लाश
6	प्रदर्श पी–06	घटनास्थल का नक्शा मौका
7	प्रदर्श पी–07	पुलिस बयान अणची देवी
8	प्रदर्श पी–08	पुलिस बयान कालूराम
9	प्रदर्श पी–09	फर्द पंचायतनामा मृतक रतनलाल
10	प्रदर्श पी–10	फर्द सुपुर्दगी लाश
11	प्रदर्श पी–11	पुलिस बयान महिपाल सिंह
12	प्रदर्श पी–12	प्रार्थना–पत्र पावर ऑफ अटॉर्नी
13	प्रदर्श पी–13	धारा 133 एमवीएक्ट नोटिस
14	प्रदर्श पी–14	फर्द जप्ती कागजात डम्फर
15	प्रदर्श पी–15	असल पावर ऑफ अटॉर्नी
16	प्रदर्श पी–16	फर्द जप्ती वाहन डम्फर आरजे 14 जीएल 3482
17	प्रदर्श पी–17	पुलिस बयान पीरदान सिंह
18	प्रदर्श पी–17ए	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
19	प्रदर्श पी–18	पुलिस बयान मनोज कुमार
20	प्रदर्श पी–18ए	पोस्टमार्टम रिपोर्ट रतनलाल
21	प्रदर्श पी–19	पोस्टमार्टम रिपोर्ट रामसिंह
प्रदर्श पी–17 एवं प्रदर्श पी–18 दो बार अंकित किए, जिन्हें प्रदर्श पी–17ए एवं प्रदर्श पी–18ए क्रमशः पढ़ा जाएगा।		

ब–बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
——	——	——

स–न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
——	——	

द–भौतिक वस्तुएं

क्रम संख्या	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
——	——	–निल–

–:: निर्णय :: **दिनांक 17.08.2026**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी पूर्णमल सैनी पुत्र उकारमल, उम्र 32 वर्ष, निवासी ढाणी जोशियाला, तन बबाई, थाना खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज0) ने पुलिस थाना खेतड़ी के समक्ष दिनांक 19.03.2021 को एक लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ''उसका छोटा भाई रामसिंह जो रासलीला कैशर गाड़राटा के पास खान में काम करता था व ड्राइवरी भी कर लेता था। दिनांक 18.03.2021 को रात के समय खान पर ही था कि समय करीब 11.30 पीएम पर उसका भाई रामसिंह व उसका साथी रतनलाल जोगी पुत्र रामोतार दोनों खान गाड़राटा की ओर जा रहे थे तो सामन से डम्फर नंबर आरजे 14 जीएल 3482 के चालक ताराचंद पुत्र बालूराम गुर्जर ने वाहन डम्फर को बहुत तेज गति व लापरवाही से चलाकर के पैदल चल रहे रामसिंह व रतनलाल जोगी के रोंग साईड में जाकर के टक्कर मारकर के दोनों को कुचल दिया, जिससे दोनों के शरीर पर काफी गंभीर चोटें आने से मौके पर ही मौत हो गई। दोनों की बॉडी को रात में ही सरकारी अस्पताल खेतड़ी के मोर्चरी में रखवाई हुई है। यह दुर्घटना डम्फर नंबर आरजे 14 जीएल 382 के चालक ताराचंद पुत्र बालूराम के द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाने के

कारण हुई है। आदि–आदि'' .....। आदि रिपोर्ट पर पुलिस थाना खेतड़ी द्वारा एफआईआर नंबर 212/2021 अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त ताराचंद पुत्र बालूराम के विरुद्ध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अभियुक्त ताराचंद पुत्र बालूराम के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त को दिनांक 19.07.2021 को धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य में पृष्ठ संख्या 02 पर भाग द्वितीय ''अ'' में वर्णित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पृष्ठ संख्या 03 पर भाग द्वितीय ''अ'' में वर्णित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

4. बयान मुलजिम लिए गए। अभियुक्त ने निर्दोष होने का कथन करते हुए अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया। अभियुक्त ने स्वयं के द्वारा कोई दुर्घटना नहीं होना बताया। प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करनी चाही, परंतु पेश नहीं की गई, जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य समाप्त की गई।

5. बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के गवाहन के बयानों से अभियोजन का मामला पूर्णतः साबित है। गवाहान के बयानों में सूक्ष्म विरोधाभास संभव है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे।

6. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाहान पक्षद्रोही हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। गवाह पीडब्ल्यू 2 लालचंद प्रकरण में अनुश्रुत साक्षी है, क्योंकि उसने यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था। अनुसंधान अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि मौके पर एक्सीडेंट के कोई आलामात नहीं मिले थे। अभियोजन का मामला साबित नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

7. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है–

- क्या अभियुक्त ताराचंद ने दिनांक 18.03.2021 को समय रात्रि करीब 11.30 पीएम पर आम सड़क नीमकाथाना से खेतड़ी पर वाहन आरजे 14 जीएल 3482 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर सड़क किनारे पैदल चल रहे परिवादी पूर्णमल के भाई रामसिंह व रतनलाल जोगी के टक्कर मारकर मानव जीवन का संकटापन्न कारित किया तथा उक्त टक्कर से चोटें कारित होने से आहतगण रामसिंह व रतनलाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई ?
- यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?

8. साक्ष्य के सूक्ष्म विवेचन व विश्लेषण सहित उक्त अवधारणीय बिन्दु पर न्यायालय का विवेचन निम्न प्रकार है :–

विचारणीय बिन्दु संख्या 1

9. हस्तगत प्रकरण का उद्‌भव परिवादी पूर्णमल सैनी पुत्र उकारमल के द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 के आधार पर पुलिस थाना खेतड़ी में दर्ज चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 के बाद अनुसंधान प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर हुआ है। परिवादी द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 में यह अंकित किया गया है कि उसका छोटा भाई रामसिंह जो रासलीला क्रैशर गाड़राटा के पास खान में काम करता था व ड्राइवरी भी कर लेता था। दिनांक 18.03.2021 को रात के समय खान पर ही था कि समय करीब 11.30 पीएम पर उसका भाई रामसिंह व उसका साथी रतनलाल जोगी पुत्र रामोतार दोनों खान गाड़राटा की ओर जा रहे थे तो सामन से डम्फर नंबर आरजे 14 जीएल 3482 के चालक ताराचंद पुत्र बालूराम गुर्जर ने वाहन डम्फर को बहुत तेज गति व लापरवाही से चलाकर के पैदल चल रहे रामसिंह व रतनलाल जोगी के रोंग साईड में जाकर के टक्कर मारकर के दोनों को कुचल दिया, जिससे दोनों के शरीर पर काफी गंभीर चोटें आने से मौके पर ही मौत हो गई। दोनों की बॉडी को रात में ही सरकारी अस्पताल खेतड़ी के मोर्चरी में रखवाई हुई है। यह दुर्घटना डम्फर नंबर आरजे 14 जीएल 382 के चालक ताराचंद पुत्र बालूराम के द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाने के कारण हुई है।

10. गवाह पीडब्ल्यू 1 पूर्णमल जो प्रकरण में परिवादी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 18.03.2021 को उसका भाई रामसिंह रासलीला क्रेशर पर ड्राईवरी का काम करता था। उस रोज रात का करीब साढ़े ग्यारह बजे उसका भाई व रतनलाल योगी क्रेशर से खान की तरफ पैदल जा रहे थे। तब सामने से डम्फर ने गलत साईड से सामने से उसके भाई व रतनलाल के टक्कर मार दी, जिसस उन दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। डम्फर के नंबर उसे नहीं पता तथा चालक का भी उसे नहीं पता। डम्फर कैसे चलता आ रहा था, उसे नहीं पता।

11. उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया, जिसने अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में यह कथन किया कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी–1 का ए से बी भाग गवाह को पढ़कर सुनाया ते गवाह ने ऐसा बयान नहीं देना बताया। यह कहना गलत है कि डम्फर नंबर आरजे 14 जीएल 3482 के चालक ताराचंद ने डम्फर को तेज गति व लापरवाही से चलाकर उसके भाई रामसिंह व रतनलाल के गलत साईड में जाकर टक्कर मारकर कुचल दिया हो, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हुई हो। यह सही है कि उसने थाने पर रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 दी थी तथा चाक एफआईआर प्रदर्श पी–3 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द पंचायतनामा मृतक रामसिंह प्रदर्श पी–4 है, रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–5 है, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। यह कहना गलत है कि मुलजिम उसकी जान–पहचान का होने के कारण वह उसे बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया कि यह सही है कि उसने समस्त प्रदर्श पर थाने पर हस्ताक्षर किए थे, पुलिस ने उन कागजों पर क्या लिखापढ़ी की उसे नहीं पता। इस प्रकार यह गवाह जो प्रकरण में परिवादी होकर मुख्य साक्षी है, उसने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है और स्पष्ट रूप से दुर्घटना कारित करने वाले डम्फर की जानकारी होने से मना किया है।

12. पीडब्ल्यू 2 लालचंद ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि 18 मार्च, 2021 की बात है। उसका बड़ा भाई रामसिंह उसके साथ रतनलाल जोशी, जो

रासलीला क्रैशर से गाड़राटा खान की तरफ जा रहे थे। गाड़रटा खान पहुंचने से पहले सामने एक डम्फर आरजे 14 जीएल 3482 का चालक ताराचंद ने डम्फर को तेज गति व लापरवाही से चलाकर उसका भाई रामसिंह व रतनलाल जोशी के टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। फर्द पंचायतनामा मृतक रामसिंह प्रदर्श पी–4 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसके समने तैयार किया था। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 तैयार किया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने जिरह में कथन किया कि वह 9वीं तक पढ़ा–लिखा है। यह सही है कि मृतक रामसिंह उसका सगा भाई है। यह सही है कि एक्सीडेंट उसके सामने नहीं हुआ। वह मौके पर उपस्थित नहीं था। वह अपने घर पर था। उसे उक्त एक्सीडेंट की सूचना पुलिस थाना खेतड़ी वालों ने घटना के दूसरे दिन दी थी। वह अस्पताल आया हुआ था। वहां पर सूचना दी थी। पुलिस भी आसपस में खड़ी थी। वहीं पर पुलिस वालों ने उसे घटना के बारे में बताया था। यह सही है कि प्रदर्श पी–4 ने उसे घटना के बारे में बताया था। यह सही है कि प्रदर्श पी–6 पर अस्पताल में हस्ताक्षर करवाए। यह सही है कि प्रदर्श पी–4 व प्रदर्श पी–6 पर किस–किसके हस्ताक्षर करवाए थे, उसे पता नहीं है। यह सही है कि उक्त प्रदर्श पर क्या लिखापढ़ी की, उसे जानकारी नहीं है। यह सही है कि मृतका उसका भाई रामसिंह का क्लेम किया था जो न्यायालय में चल रहा है, यह सही हो। थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई उसको जानकारी नहीं है। उसके पास तो फोन आया था। यह कहना गलत है कि उसका भाई एक्सीडेंट नहीं हुआ हो और उन्होंने लेने के लिए झूठा मुकदमा किया हो। यह सही है कि वह उसके भाई के एक्सीडेंट के समय वह मौके पर नहीं था।

13. पीडब्ल्यू 3 श्रीमती अणची देवी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 18.03.2021 को रात के समय की बात है। उस रोज वह उसके घर पर थी। उसे दूसरे दिन पुलिस वालों ने सूचना दी कि रात को उसके पति रतनलाल योगी व उसके साथी रामसिंह की दुर्घटना हो गई है। उसका पति क्रैशर पर डम्फर चलाता था। उस रात रामसिंह व उसका पति क्रैशर से गाड़राटा की खान की तरफ जा रहे थे तो तिराहे के पास सामने एक डम्फर जिसके नंबर उसे ध्यान नहीं, जिसको कौन चला रहा था, उसे नहीं पता, से

दुर्घटना हो गई। उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया, जिसने अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में यह कथन किया कि वह अनपढ़ है। पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 का हिस्सा ए से बी गवाह को पढ़कर सुनाया तो गवाह ने ऐसे बयान पुलिस को देने से इंकर किया। यह कहना गलत है कि वह आज झूठे बयान दे रहा है। यह कहना सही है कि इस दुर्घटना का उसने क्लेम का केस जयपुर में कर रखा है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया कि यह कहना सही है कि घटना के समय वह मौके पर नहीं थी, ना ही वह डम्फर के नंबर जानती है और ना ही वह डम्फर के चालक को जानती है।

14. पीडब्ल्यू 4 कालूराम ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 18.03.2021 को रात के समय की बात है। उस रोज वह उसके घर पर था। उसे दूसरे दिन पुलिस वालों ने बताया कि उसके भाई और रामसिंह की क्रैशर के पास डम्फर चालक ने दुर्घटना कर दी है। डम्फर के नंबर आरजे 14 जीएल 3482 थे, जिसको कैन चला रहा था, उसे नहीं पता। इस घटना की दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के शव सरकारी अस्पताल खेतड़ी में रखवाए गए। पुलिस ने फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी–9 बनाया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–10 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया, जिसने अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में यह कथन किया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी–8 में उसने डम्फर चालक का नाम नहीं बताया था, पुलिस ने क्यों लिखा वह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि वह आज झूठे बयान दे रहा है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया कि यह कहना सही है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था और ना ही वह डम्फर के चालक को जानता है। प्रदर्श पी–8 लगायत पी–10 पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर कराए थे, उनमें पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की, उसे नहीं पता।

15. पीडब्ल्यू 5 महिपाल सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तथा उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया, जिसने अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में यह कथन किया कि वह दिनांक 18.03.2021 को गोल्ड क्रॉप ग्लोबल माइनिंग

गाड़राटा में सुपरवाईजर के पद पर कार्यरत था। उस दिन मनोज उसके साथ खान पर नहीं था। उस दिन खान से पहले तिराहे के पास कोई दुर्घटना उसके सामने नहीं हुई। रतनलाल जोगी और रामसिंह खान में काम करते थे, तो उसे नहीं पता। उसने दुर्घटना होन की बात किसी से भी नहीं सुनी। उसकी ड्यूटी कभी दिल्ली, जयपुर होती रहती थी, लेकिन दिनांक 18.03.2021 को वह गाड़राटा में कार्यरत था। पुलिस बयान प्रदर्श पी–11 का भाग ए से बी गवाह को पढ़कर सुनाया तो गवाह ने ऐसा बयान पुलिस को देना नहीं बताया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि दिनांक 18.03.2021 को वह दिल्ली किसी काम से गया हुआ था। वह चार–पांच दिन बाद में आया था। उसने किसी प्रकार की दुर्घटना के बारे में किसी से नहीं सुना था।

16. पीडब्ल्यू 6 पीरदान सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 18.03.2021 को वह डम्फर नंबर आरजे 14 जीएल 3482 के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक था। यह डम्फर क्रैशर पर माल ढोने का काम करता था। रतनलाल और रामसिंह ड्राइवर हो तो उसे नहीं पता। उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया, जिसने अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में यह कथन किया कि उक्त नंबरी डम्फर पर ड्राइवर कौन–कौन रहते हैं, उसे नहीं पता। उस दिन उक्त नंबरी डम्फर से कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस डम्फर को पुलिस ने जप्त किया था, क्योंकि यह डम्फर ओवरलोड था। पुलिस ने इसे बबाई में जप्त किया था। यह कहना सही है कि उसने पुलिस को पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रार्थना–पत्र पेश किया था, जो प्रदर्श पी–12 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी–12 किसने लिखा था, उसे नहीं पता। प्रदर्श पी–12 पर हस्ताक्षर उसके ही है। यह कहना सही है कि नोटिस धारा 133 एमवीएक्ट प्रदर्श पी–13 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी जो जवाब अंकित है वो किसका कलमी है, उसे नहीं पता। उक्त डम्फर पर ताराचंद नाम का कोई चालक हीं रहता था। उक्त डम्फर के कागज पुलिस ने जरिए फर्द प्रदर्श पी–14 जप्त किए थे। प्रदर्श पी–14 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। असल पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदर्श पी–15 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त नंबरी डम्फर को जरिए फर्द प्रदर्श पी–16 जप्त किया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–16 पर सी से डी ताराचंद नाम

लिखा हुआ है। उसे नहीं पता कि डम्फर जप्त किया था, तब ताराचंद मौजूद हो। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी–17 का भाग ए से बी गवाह को पढ़कर सुनाया तो गवाह ने ऐसा बयान पुलिस को देना नहीं बताया। यह कहना गलत है कि ताराचंद डम्फर चल रहा हो और उससे एक्सीडेंट हुआ हो। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि प्रदर्श पी–12, 13, 14, 16 पर उससे पुलिस ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे, पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की थी, उसे नहीं पता। पुलिस ने उनके डम्फर को ओवरलोड के चक्कर में पकड़ लिया था। पुलिस ने क्या–क्या कार्यवाही की थी, उसे नही पता।

17. पीडब्ल्यू 7 मनोज कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 18.03.2021 को वह जयपुर कंपनी के काम से गया था। दिनांक 18.03.2021 को खान पर कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घ ोषित किया गया, जिसने अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में यह कथन किया कि उसे नही पता कि ताराचंद उनकी खान पर डम्फर चालक का काम करता था। दिनांक 18.03.2021 को क्रैशर पर 20–25 डम्फर थे। आरजे 14 जीएल 3482 नंबरी डम्फर उनके क्रैशर पर नहीं चलता था। दिनांक 18.03.2021 के बाद 24 या 25 मार्च को दुबारा खान पर आया था। घटना पर न तो उसमे सामने पुलिस आई और न ही उसे किसी कर्मचारी ने एक्सीडेंट के बारे में बताया था। पुलिस बयान प्रदर्श पी–18 का भाग ए से बी गवाह को पढ़कर सुनाया तो गवाह ने ऐसा बयान पुलिस को देना नहीं बताया।

18. पीडब्ल्यू 8 लालचंद सैनी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 19. 03.2021 को पुलिस ने उसके सामने मृतक रामसिंह का पंचायतनामा प्रदर्श पी–4 बनाया था, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने जिरह में कथन किया कि रामसिंह उसके चाचा का लड़का है। यह सही है कि प्रदर्श पी–4 पर मूल लिखावट पुलिस ने की थी। सिर्फ उसके हस्ताक्षर करवाए थे, पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की थी, उसकी जानकारी में नहीं है।

19. पीडब्ल्यू 9 दलीप ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसके पिता की दिनांक 19.03.2021 को ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पुलिस ने उसके पिता की लाश का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी–9 बनाया था, जिस पर सी से डी

उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने जिरह में कथन किया कि प्रदर्श पी–9 पर हस्ताक्षर अस्पताल में करवाया था। उसने प्रदर्श पी–9 पर केवल हस्ताक्षर किए। पुलिस वालों ने प्रदर्श पी–9 में क्या लिखा, उसे नहीं पता।

20. पीडब्ल्यू 10 सोणाराम ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसके ससुर की दिनांक 19.03.2021 को ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पुलिस ने उसके ससुर की लाश का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी–9 बनाया था, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने जिरह में कथन किया कि प्रदर्श पी–9 पर हस्ताक्षर अस्पताल में करवाया था। उसने प्रदर्श पी–9 पर केवल हस्ताक्षर किए। पुलिस वालों ने प्रदर्श पी–9 में क्या लिखा, उसे नहीं पता।

21. पीडब्ल्यू 11 राजेश ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 25.05.2021 को राजेन्द्र एएसआई ने उसके सामने व ताराचंद के सामने वाहन डम्फर नंबर आरजे 14 जीएल 3482 को मुकदमा नंबर 212/2021, थाना खेतड़ी में जप्त किया था। उक्त वाहन के कागजात भी उसके व ताराचंद के समक्ष जप्त किए थे। फर्द जप्ती डम्फर प्रदर्श पी–16 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फर्द जप्ती कागजात प्रदर्श पी–14 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने जिरह में कथन किया कि यह सही है कि प्रदर्श पी–14 व प्रदर्श पी–16 बबाई चौकी पर तैयार किए थे। वाहन के इंजन नंबर व चेचिस नंबर याद नहीं। डम्फर अशोक लिलेण्ड कंपनी का था। प्रदर्श पी–14 व प्रदर्श पी–16 राजेन्द्र, एएसआई ने ही तैयार किए थे। उसने उस पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि वह वहां था। यह कहना गलत है कि वह झूठे बयान दे रहा है।

22. पीडब्ल्यू 12 रतन ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि पुलिस ने उसके सामने मृतक रतन जोगी का पंचनामा बनाया था, जो प्रदर्श पी–9 है, जिस पर ए से बी उसके साईन है। गवाह ने जिरह में कथन किया कि प्रदर्श पी–9 में क्याा लिखा हुआ है, उसको जानकारी नहीं है। उससे तो पुलिस ने थाने में खाली कागज पर साईन करवाए थे।

23. पीडब्ल्यू 13 अशोक कुमार जो प्रकरण में मैकेनिकल मुआयनाकर्ता है, ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 26.05.2021 को मुकदमा नंबर 212/2021 को पुलिस थाना खेतड़ी में जप्त डम्फर आरजे 14 जीएल 3482 का मैकेनिकल मुआयना किया था। मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी–17 है, जिस पर ए

से बी उसकी रिपोर्ट व सी से डी उसके साईन है। गवाह ने जिरह में कथन किया कि यह सही है कि वाहन डम्फर खेतड़ी थाने पर खड़ा था। यह सही है कि डम्फर जिसका उसने मैकेनिकल मुआयना किया थ। उसके किसी प्रकार के एक्सीडेंट बाबत् कोई निशानात नहीं थे। यह सही है कि उक्त वाहन को थाने पर कौन लेकर आया उसको पता नहीं है। किस प्रकरण में लेकर आया था, उसको पता नहीं है। उक्त वाहन के इंजन नंबर व चेचिस नंबर आज उसको ध्यान नहीं है। उक्त डम्फर का चालक कौन था, उसको पता नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने मैकेनिकल मुआयना नहीं किया हो, थानाधिकारी के कहने से केवल दस्तावेज तैयार किए हों।

24. पीडब्ल्यू 14 डॉ. अक्षय कुमार प्रकरण में चिकित्सकीय साक्षी है, ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 19.03.2021 को पुलिस थाना खेतड़ी के प्रतिवेदन पर मृतक रतनलाल पुत्र रामवतार के शव का परीक्षण किया था। आहत के शरीर पर कई चोटें थीं। उसकी राय में आहत की मृत्यु का कारण कौमा था, जो कि मृत्यु पूर्व कारित सिर की चोटों से हुआ था, जो कि प्रकृति की सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था। चोटों की अवधि मृत्यु के छः घ ंटे के अन्दर की थी। पीएमआर रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी उसकी राय है। उस रोज उसने अन्य मृतक रामसिंह पुत्र ओंकारमल के शव का परीक्षण किया था। आहत के शरीर पर कई चोटें थी। उसकी राय में आहत की मृत्यु का कारण कौमा था, जो की मृत्यु पूर्व कारित सिर की चोटों से हुआ था, जो की प्रकृति की सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था। चोटों की अवधि मृत्यु के छः घंटे के अंदर की थी। पीएमआर रिपोर्ट प्रदर्श पी–19 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी उसकी राय है। गवाह ने जिरह में कथन किया कि यह सही है कि प्रदर्श पी–18 वह मृतक रतनलाल जोगी के जो शरीर पर चोटें आई है, वह खान कार्य करते हुए किसी ऊंचाई से गिरने से आने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह सही है कि मृतक का पीएमआर वह दिनांक 19.03.2021 को समय 3.35 पीएम पर करना बताया है। यह सही है कि मृतक की चोटें मृत्यु से छः घ ंटे के अंदर कारित हुई। थी। यह सही है कि प्रदर्श पी–19 भी समय 3.00 पीएम पर बनाया था। प्रदर्श पी–19 दर्शाई गई चोटें खनन कार्य करते हुए आना

संभव है। चोटें मृत्यु के छः घंटे के भीतर की थी। प्रदर्श 18 व 19 बनाया तब मृतकों को उनके परिजन लेकर आए थे।

25. पीडब्ल्यू 15 राजेन्द्र कुमार जो प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी है, ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 19.03.2021 को परिवादी पूर्णमल व कालूराम ने एक तहरीर प्रदर्श पी–2 कैलाश एएसआई के समक्ष पेश की, जिसकी पुश्त पर सी से डी स्थान पर कार्यवाही पुलिस दर्ज की गई, जिस पर सी से डी कैलाश एएसआई के हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–3 है, जिस पर सी से डी कैलाश, एएसआई के हस्ताक्षर हैं। प्रकरण का अनुसंधान उसके जिम्मे किया गया था। उसने मृतक रतनलाल का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी–9 तैयार किया था, जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर हैं। रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–10 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। मृतक रामसिंह का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी–4 तैयार किया, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदश पी–5 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मृतक रतनलाल, रामसिंह की पीएमआर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की। घ टनास्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी–6 बनाया था, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। उसने गवाह पूर्णमल, कालूराम, लालचंद, अणची, महिपाल सिंह, मनोज कुमार, पीरदान सिंह, के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। उसने प्रदर्श पी–12 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। उसने डम्फर नं0 आरजे 14 जीएल 3482 को व उसके कागजात को जरिये फर्द प्रदर्श पी–16 व प्रदर्श पी–14 है, जिन पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त नम्बरी डम्फर के पॉवर ऑफ अटोरनी मालिक पीरदान सिंह को धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस प्रदर्श पी–13 दिया था, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं व ए से बी पीरदान सिंह के हस्ताक्षर व सी से डी पीरदान का जवाब अंकित है। नकल परट रोजनामचा आम दिनांक 19.03.2021 की प्रति प्रदर्श पी–19 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उक्त नम्बरी डम्फर का मेकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी–17 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। बाद अनुसंधान मुलजिम ताराचंद के विरूद्ध जुर्म धारा 279, 304ए भा0द0स0 का प्रमाणित मान कर पत्रावली थानाधिकारी, सुरेन्द्र देगड़ा को सुपुर्द की, जिन्होंने आरोप पत्र पेश न्यायालय किया। गवाह ने जिरह में कथन किया कि उसको इस प्रकरण की तफ्तीश

दिनांक 19.03.2021 को मिली थी। यह कहना गलत है कि उसने मृतकों की डेड बॉडी को नहीं देखा हो बल्कि उसने दोनों की बॉडी को सीएचसी खेतड़ी के मुर्दाघर में देखा था। उसे रात को एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी, जिस पर वह मौके पर जाकर दोनों मृतकों को खेतड़ी अस्पताल में लेकर आया था। मृतक वहां पर दोनों ही दुर्घटना स्थल पर पड़े थे, इनके अलावा क्रेशन वाले लोग वहां पर उपस्थित थे। क्रेशर वाले व्यक्तियों के नाम आज उसके ध्यान नहीं है। उसको एक्सीडेंट की सूचना क्रेशन वालों ने दी थी, उनका नाम उसके आज ध्यान नहीं हैं सूचना देने वाले के माबाईल नंबर भी आज उसके ध्यान नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी–19 में सूचना देने वाले का नाम व मोबाईल नंबर का कहीं कोई अंकन नहीं किया। मृतक रतनलाल व रामसिंह ने पेंट–शर्ट पहन रखे थे, उनके कपड़ों का रंग उसके आज ध्यान नहीं है। दोनों मृतक के सिर व शरीर पर कई जगह चोटें थीं। मृतकों के परिजनों का पता कर रात को ही उनको सूचना दे दी थी। मृतकों के परिजनों ने दूसरे दिन दिनांक 19.03.2021 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह सही है कि प्रदर्श पी–2 तहरीर रिपोर्ट को उसने पढ़ लिया था। यह सही है कि प्रदर्श पी–2 में परिवादी ने दुर्घटना को देखने वाले किसी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं किया है। अजखुद कहा परिवादी पूर्णमल व कालूराम द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है। यह सही है कि फर्द जब्ती डम्फर प्रदर्श पी–16 में उक्त डम्फर से दुर्घटना कारित की गई हो ऐसे कोई आलामात दर्ज नहीं हैं। यह सही है कि मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी–17 में भी उक्त नम्बरी डम्फर से दुर्घटना कारित की हो ऐसे आलामात दर्ज नहीं है। वह मौके पर 30.03.2021 को गया था। यह सही है कि घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 में दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना के कोई आलामात दर्ज नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी–6 बनाया, तब कोई भी स्वतंत्र गवाह मौके पर उपस्थित नहीं था केवल मृतकों के परिवारजन उपस्थित थे। यह कहना गलत है कि मृतक दोनों व्यक्ति खान में काम करते वक्त दुर्घटना में आहत हुए हों। यह कहना गलत है कि उसने मृतकों के परिजनों से मिलकर के मिथ्या आरोप पत्र पेश किया हो।

26. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त ताराचंद के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। माननीय राजस्थान उच्च

न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत संग्राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1990 (2)आर.एल.आर.726 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वाहन दुर्घटना के मामले में अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथम यह साबित करना होता है कि अभियुक्त दुर्घटना के समय वाहन का चालक था, तत्पश्चात ही वाहन को लापरवाही एवं उतावलेपन से चलाने का प्रश्न उत्पन्न होता है। न्यायालय के विन्रम मत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने कई महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टातों के माध्यम से यह सिद्धान्त अभिनिर्धारित किया है कि दुर्घटना से संबंधित मामलों में दोषसिद्ध घोषित करने के लिए अभियोजन पक्ष को दो तथ्य को संदेह से परे सिद्ध करना होता है कि–

- बरवक्त दुर्घटना अभियुक्त ही वाहन का चालक था।
- दुर्घटना अभियुक्त की लापरवाही अथवा उपेक्षापूर्ण गाडी चलाने से कारित हुई है।

27. इस प्रकार भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 279, 304ए के तहत दण्डनीय अपराध को प्रमाणित कराने के लिए अभियोजन को सर्वप्रथम तीन महत्वपूर्ण बिन्दु साबित करने होते हैं–

- यह कि घटना के वक्त अभियुक्त दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक था, व
- यह कि अभियुक्त ने वाहन को इतने उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाया जिससे कि दुर्घटना होना संभाव्य था,
- यह कि उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप ही आहतगण की मृत्यु कारित हुई।

28. हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम जहां तक दुर्घटना के फलस्वरूप रामसिंह एवं रतनलाल की मृत्यु होने का प्रश्न है तो इस संबंध में पत्रावली पर मृतक रामसिंह का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी–4 उपलब्ध है, जिसके गवाह पूर्णमल सैनी, रामकिशन, लालचंद पुत्र श्योपाल, लालचंद पुत्र ओंकारमल तथा हरिसिंह पुत्र गंगाराम है, जो न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 2, पीडब्ल्यू 8 के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने फर्द पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–19 है, जिसमें मृत्यु का कारण संभावित रूप से एक्सीडेंट होना बताया गया है, जिस

संबंध में गवाह पीडब्ल्यू 14 डॉ. अक्षय कुमार को परीक्षित करवाया गया, जिसने मृत्यु का कारण कोमा होना और सिर की चोटों का होना बताया है।

29. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर मृतक रतनलाल का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी–9 उपलब्ध है, जिसके गवाह कालूराम, दलीप योगी, सोणाराम, प्रकाशचंद तथा रतनलाल है, जो न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह पीडब्ल्यू 4, पीडब्ल्यू 9, पीडब्ल्यू 10 एवं पीडब्ल्यू 12 के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी–9 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–18ए है, जिसमें मृत्यु का कारण संभावित रूप से एक्सीडेंट होना बताया गया है, जिस संबंध में गवाह पीडब्ल्यू 14 डॉ. अक्षय कुमार को परीक्षित करवाया गया, जिसने मृत्यु का कारण कोमा होना और सिर की चोटों का होना बताया है। उपरोक्त मृतकों की मृत्यु के कारण की संबंध में की गई जिरह से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे मृत्यु का कारण एक्सीडेंट ना होना दर्शित होता हो। इस प्रकार उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 18.03.2021 को मृतक रतनलाल एवं रामसिंह की मृत्यु सिर पर आई चोटों के कारण हुई है, जिसका संभावित कारण एक्सीडेंट होना बताया गया है।

30. अब जहां तक दुर्घटना कारित करने वाले वाहन तथा वाहन चालक का प्रश्न है तो हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क यह रहा है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाहान पक्षद्रोही हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। गवाह पीडब्ल्यू 2 लालचंद प्रकरण में अनुश्रुत साक्षी है, क्योंकि उसने यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था। अनुसंधान अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि मौके पर एक्सीडेंट के कोई आलामात नहीं मिले थे।

31. अधिवक्ता अभियुक्त के उक्त तर्क के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो हस्तगत प्रकरण में परिवादी पूर्णमल गवाह पीडब्ल्यू 1 प्रकरण में पक्षद्रोही हुआ है, जिसने अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है तथा इस गवाह ने प्रकरण में डम्फर नंबर आरजे 14 जीएल 3482 के चालक ताराचंद द्वारा दुर्घटना कारित करने से इन्कार किया है। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 3 अणची देवी ने भी अपने बयानों में दुर्घटना कारित करने वाले डम्फर

के नंबर की जानकारी नहीं होना बताया है और जिरह में यह स्वीकार किया है कि वह डम्फर के नंबर नहीं जानती और ना ही डम्फर चालक को जानती है। गवाह पीडब्ल्यू 4 कालूराम भी प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने यद्यपि अपने बयानों में डम्फर संख्या आरजे 14 जीएल 3482 से दुर्घटना कारित होना बताया है, परंतु डम्फर चालक के संबंध में कोई भी जानकारी होने से इन्कार किया है। गवाह पीडब्ल्यू 5 महिपाल सिंह भी प्रकरण में पक्षद्रोही हुआ है, जिसने अपने सामने दुर्घटना होने से इन्कार किया है। गवाह पीडब्ल्यू 6 पीरदान सिंह भी प्रकरण में पक्षद्रोही हुआ है, जिसने कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि डम्फर के ड्राईवर रतनलाल और रामसिंह थे और इस सुझाव को गलत बताया है कि ताराचंद डम्फर चला रहा था और उससे एक्सीडेंट हुआ था। गवाह पीडब्ल्यू 7 मनोज कुमार प्रकरण में पक्षद्रोही हुआ है, जिसने दिनांक 18.03.2021 को खान पर कोई दुर्घटना नहीं होने का कथन किया है। इस गवाह ने जिरह में कथन किया है कि आरजे 14 जीएल 3482 डम्फर उनकी क्रैशर पर नहीं चलता। इस प्रकार अभियोजन के इन समस्त गवाहान में से अधिकांश गवाहों ने डम्फर संख्या आरजे 14 जीएल 3482 के द्वारा दुर्घटना कारित करने से ही इन्कार किया है, जबकि गवाह पीडब्ल्यू 4 कालूराम ने डम्फर संख्या तो आरजे 14 जीएल 3482 होना बताया है, परंतु चालक की जानकारी होने से इन्कार किया है। इस गवाह ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था। गवाह पीडब्ल्यू 2 लालचंद ने यद्यपि दुर्घटना उक्त नंबरी डम्फर से होना बताया है, परंतु इस गवाह ने जिरह में स्वीकार किया है कि एक्सीडेंट उसके सामने नहीं हुआ था।

32. उक्त दुर्घटना डम्फर संख्या आरजे 14 जीएल 3482 के द्वारा ही कारित हुई, इस संबंध में न्यायालय के समक्ष परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू 13 अशोक कुमार के बयानों का अवलोकन किया जाए तो उक्त गवाह ने उक्त डम्फर का मैकेनिकल मुआयना करना बताया है तथा मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–17ए प्रदर्शित करवाई है। उक्त मैकेनिकल रिपोर्ट में डम्फर का चालू हालत में होना बताया गया है तथा इस गवाह ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि डम्फर पर एक्सीडेंट के बाबत् कोई निशान नहीं थे। गवाह पीडब्ल्यू 15 राजेन्द्र कुमार जो प्रकरण मे अनुसंधान अधिकारी है, ने अपनी जिरह में यह स्वीकार

किया है कि फर्द जप्ती डम्फर प्रदर्श पी–16 तथा मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी–17 में उक्त डम्फर से कोई दुर्घटना हुई हो, ऐसे आलामात नहीं है। गवाह पीडब्ल्यू 6 पीरदान सिंह, जिसने प्रकरण में जप्तशुदा डम्फर को जरिये पावर ऑफ अटॉर्नी सुपुर्दगी पर प्राप्त किया था, ने भी अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में यह कथन किया है कि उस दिन उक्त नंबरी डम्फर से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई थी। इस प्रकार उपरोक्त समस्त साक्ष्य के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाहान ने स्पष्ट रूप से दुर्घटना डम्फर संख्या आरजे 14 जीएल 3482 के द्वारा कारित होना नहीं बताया है।

33. अब जहां तक अभियुक्त ताराचंद के उक्त डम्फर चालक होने का प्रश्न है तो गवाह पीडब्ल्यू 1 ने जिरह में इस सुझाव को गलत बताया है कि डम्फर को ताराचंद चला रहा हो। गवाह पीडब्ल्यू 2 लालचंद ने यद्यपि ताराचंद द्वारा डम्फर चलाना बताया है, परंतु उसने मौके पर उपस्थित नहीं होना स्वीकार नहीं किया है। गवाह पीडब्ल्यू 3 अणची देवी ने चालक की जानकारी होने से इन्कार किया है। गवाह पीडब्ल्यू 4 कालूराम ने भी चालक की जानकारी होने से इन्कार किया है। गवाह पीडब्ल्यू 5 महिपाल ने स्वयं के सामने कोई एक्सीडेंट होने से ही इन्कार किया है।

34. गवाह पीडब्ल्यू 6 पीरदान सिंह वाहन का पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर था, जिसने नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी–13 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है, परंतु सी से डी जवाब जहां पर ड्राईवर का नाम का अंकन है, उसकी कलमी की जानकारी होने से इन्कार किया है, अन्यथा भी उक्त जवाब पुलिस के समक्ष संस्वीकृति की श्रेणी में आता है। इस गवाह ने न्यायालय में हुए बयानों में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उक्त डम्फर पर ताराचंद नाम का चालक नहीं रहता था।

35. गवाह पीडब्ल्यू 7 मनोज कुमार ने भी ताराचंद के डम्फर चालक होने की जानकारी होने से इन्कार किया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी गवाह पीडब्ल्यू 15 राजेन्द्र कुमार ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–2 तहरीर रिपोर्ट में परिवादी ने दुर्घटना को देखने वाले किसी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं किया था, जिससे स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति

न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ, जिसने अभियुक्त ताराचंद को दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को चलाते हुए देखा हो। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में दुर्घटना किस वाहन से कारित हुई तथा वाहन कौन चला रहा था, इस संबंध में अभियोजन साक्ष्य पूर्ण रूप से संदेहास्पद है।

36. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अभियोजन तीनों बिन्दुओं को कि घटना के वक्त अभियुक्त दुर्घटना कारित करने वाले वाहन डम्फर आरजे 14 जीएल 3482 का चालक ताराचंद पुत्र बालूराम था, अभियुक्त ने वाहन को इतने उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाया जिससे कि दुर्घटना होना संभाव्य था और उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप ही आहतगण रामसिंह व रतनलाल को टक्कर मारकर उनकी मृत्यु कारित हुई को साबित करने में असफल रहा है।

37. अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य का सुसंगत विवेचन किये जाने के पश्चात् न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ताराचंद ने दिनांक 18.03.2021 को समय रात्रि करीब 11.30 पीएम पर आम सड़क नीमकाथाना से खेतड़ी पर वाहन **RJ 14 GL 3482** को तेज गति व लापरवाही से चलाकर सड़क किनारे पैदल चल रहे परिवादी पूर्णमल के भाई रामसिंह व रतनलाल जोगी के टक्कर मारकर मानव जीवन का संकटापन्न कारित किया तथा आहतगण रामसिंह व रतनलाल को टक्कर मारकर उनकी मृत्यु कारित की हो। अतः अभियुक्त ताराचंद को आरोपित अपराधों धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय बिन्दु संख्या 02

38. चूंकि अभियुक्त ताराचंद को आरोपित अपराधों धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः उसे दंडित नही किया जा सकता है।

/ /आदेश/ /

39. अतः अभियुक्त **ताराचंद पुत्र बालूराम गुर्जर, उम्र 33 वर्ष, निवासी ढाणी भगतावाली, तन गाडराटा, थाना खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज0)** को आरोपित

अपराध **धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता** के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त ताराचंद की नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

40. प्रकरण में जप्तशुदा माल वजह सबूत वाहन डम्फर आरजे 14 जीएल 3482 सुपुर्दगी पर है जो बाद गुजरने मियाद अपील उनके पास ही रहे तथा वाहन से संबंधित जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझा जावे।

41. प्रकरण में जप्तशुदा मूल दस्तावेज बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार सुपुर्द किए जावे।

42. अभियुक्त की ओर से धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् 10,000 / – राशि बंध पत्र एवं स्वं का मुचलका पेश किए गए है, जो नियमानुसार प्रभावी रहेंगें।

हिमानी जैन
UID NO. RJ01259
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, खेतडी,
जिला झुन्झुनूं राज0

43. निर्णय आज दिनांक **17.08.2026** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हिमानी जैन
UID NO. RJ01259
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, खेतडी,
जिला झुन्झुनूं राज0